

03 / 12 / 2022

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. मौर्य उपस्थित। अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्त की हा0माफी0 प्रा0पत्र 17ख/5 पेश।स्वीकृत।अभियोजन साक्षी आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। अभियोजन द्वारा तिथि स्थगन प्रा0प0 17ख/1 इस आशय का पेश किया गया कि साक्षी को प्रेषित सम्मन की तामीली न होने के कारण आज साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। न्यायहित में आज की तिथि स्थगित। अभियोजन को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि को निश्चित रूप से साक्षी को तलब करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 07.01.2023 को पेश हो। गवाह तलब हो।

सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट
टनकपुर, चम्पावत।

